Engineering College Ajmer

Badliya Choraha, National Highway No. - 8, Ajmer

Email: principal@ecajmer.ac.in
www.ecajmer.ac.in

0145-2971023
0145-2971024

ECA/G.Hostel/2023/59

Date: 08/8/23

महाविद्यालय बालिका छात्रावास में ईको वाहन (मारुति) को संचालित करने के नियम

1) इस वाहन को महाविद्यालय बालिका छात्रावास के लिए एलुमनी (पूर्व छात्रों) के एक ग्रुप द्वारा दान मे दिया गया है अतः इसके संचालन व रखरखाव हेतु किसी भी प्रकार का खर्चा महाविद्यालय स्तर पर ना किया जाकर, हॉस्टल में रह रही छात्राओं द्वारा कॉरपस फंड एकत्रित किया जाकर या अन्य किसी मदद के द्वारा संचालित किया जाएगा।

2) छात्रावास मे रह रही छात्राओं के द्वारा इस वाहन के लिए 1000 रुपए प्रति सिमेस्टर का शुल्क अपने छात्रावास फीस के साथ जमा करवाना होगा, जो की एक कॉरपस फंड के रूप में हॉस्टल फंड मे जमा रहेगा व वाहन परिचालन व रखरखाव मे उपयोग किया जाएगा।

3) कॉरपस फंड की राशि नॉन रिफंडेबल होगी व समय समय पर कमिटी द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

4) कॉलेज कार्य दिवस में प्राचार्य की अनुमति से कॉलेज के कर्मचारी द्वारा इस वाहन को चलाया जाएगा महाविद्यालय में अवकाश वाले दिनों में यदि इस वाहन को अतिआवश्यक कार्य के अलावा चलवाया जाता है तो वाहन समिति द्वारा एक निर्धारित शुल्क या प्रति घंटा शुल्क चालक को देय होगा जिसका भुगतान छात्रावास कॉरपस फंड/ वाहन उपयोगकर्ता द्वारा किया जाएगा।

5) वाहन का उपयोग छात्रावास की छात्राओं को BTU द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा देने हेतु छात्रावास से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए, माह मे एक बार प्रति छात्रा निर्धारित समय पर बाजार आने जाने हेतु, किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या बीमार होने की स्थिति में, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए हॉस्टल वार्डन व प्राचार्य की अनुमति ली गई हो उस कार्य के लिए किया जाएगा।

6) वाहन का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति का नाम, समय, कारण, शुरू और अंत के किलोमीटर मय हस्ताक्षर लॉग बुक में अंकित किए जाएंगे, जिस पर उक्त ड्राइवर के भी हस्ताक्षर होंगे। इस लोगबुक की प्रति हर माह ड्राइवर द्वारा हॉस्टल कमिटी व कॉलेज स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत की जायेगी।

7) यदि किसी विशेष कारण से महाविद्यालय को इस वाहन की आवश्यकता होती है तो कॉलेज प्राचार्य की पूर्व अनुमति से महाविद्यालय के चालक को काम में लेते हुए किया जा सकता हैं। इस यात्रा का समस्त व्यय जैसे की पेट्रोल, टोल, पार्किंग, चालक (महाविद्यालय चालक के अलावा) व अन्य आकस्मिक व्यय (जो उक्त यात्रा के दौरान होंगे) महाविद्यालय द्वारा वहन किये जाएंगे, जिसका उल्लेख भी लॉग बुक में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। अजमेर से बाहर जाने पर प्रति किलोमीटर 1 रुपए की दर से राखरखाव शुल्क महाविद्यालय द्वारा हॉस्टल के कॉरपस फंड मे जमा करवाया जाएगा।

8) वाहन के समस्त कागज जैसे कि वेन का रजिस्ट्रेशन, पोलूशन, फिटनेस, इंश्योरेंस, लॉग बुक, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस आदि की एक कॉपी हमेशा वाहन में, एक कॉपी हॉस्टल कमिटी के पास, व एक कॉपी कॉलेज लेवल कमिटी के पास उपलब्ध करवाई जाएगी।

9) वाहन में यदि किसी प्रकार की मरम्मत या रखरखाव की जरूरत पड़ती है तो उसकी अनुमति कॉलेज स्तर पर प्राचार्य के द्वारा प्राप्त की जा कर ही ऑथराइज सर्विस सेंटर के मार्फत करवाई जाएगी। इसका व्यय भी छात्रावास के कॉर्पस फंड से किया जाएगा।

10) उक्त नियमों मे आवश्यकता अनुसार समय समय पर गठित कमेटी की अनुशंसा पर प्राचार्य के अनुमोदन द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

प्राचार्य

22/7/23